दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन विभाग
छठा तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002.

फा.सं.: एफ 8(86)/ई.ए./पर्या./2008/20485 **दिनाकः 20.09.2011**

अधिसूचना

पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं0 एस ओ 667 (ङ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी करने के लिए प्रस्तावित** अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप का राज्य सरकार द्वारा विचार शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से साठवें दिन या बाद में किया जाएगा।

इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के बीतने से पहले उक्त प्रारूप अधिसूचना संबंधी किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रारूप अधिसूचना से संबंधित आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल –सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को सम्बोधित किए जा सकते हैं।

जबकि प्लास्टिक की थैलियाँ (कैरी बैग) पर्यावरण के लिये गंभीर संकट उत्पन्न करती हैं यदि इनका उपयुक्त प्रबंध न हो। इसके परिणामस्वरूप सुधार्य एवं असुधार्य पर्यावरणीय एवं जन स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है।

इस प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग को कम से कम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने प्रिन्ट मीडिया, विज्ञापन, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग, प्रदर्शिनयों, बस क्यू शेल्टरों, एफ0 एम0 रेडियों इत्यादि के माध्यम से विभिन्न जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग विद्यार्थियों के लिये इको क्लबों के माध्यम से और दिल्ली के नागरिकों के लिए भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से ''प्लास्टिक थैलियों को न कहिए'' अभियान चला रहा था। फिर भी, प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न संकट/प्रकोप बेरोकटोक जारी है।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 7.1.2009 की अधिसूचना के तहत कुछ अधिसूचित स्थानों में सभी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों के बिक्री, भंडारण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक अधिसूचना जारी की थी।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का अभिमत है कि प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग गंभीर क्षति पहुँचा रहा है और गटरों, सीवरों तथा नालों को अवरूद्ध करके पर्यावरण के लिये प्रतिकूल है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और मानव तथा प्राणी जगत के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

अब दिल्ली के मंत्रिमंडल ने दिनांक 4 अप्रैल, 2011 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 1763 के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, बिक्री, भंडारण और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिये मंत्रिमंडल टीप पर विचार करके अनुमोदित किया है।

अधिसूचना प्रारूप

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं0 एसओ 667(ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न प्रकार से निर्देश देते हैं :–

1. कोई भी व्यक्ति जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता, व्यापारी, फेरीवाला या रेहड़ी वाला आदि शामिल हैं किसी वस्तु को प्रदान करने के लिये प्लास्टिक की थैलियों की बिक्री, भंडारण तथा प्रयोग नहीं करेगा।

2. कोई भी व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पोली प्रोपलीन, बिना बुने फेब्रिक किस्म की थैलियाँ शामिल है) का विनिर्माण, भंडारण, आयात, बिक्री या परिवहन नहीं करेगा। इसमें संबंधित निर्माण इकाई के स्वामी या अधिष्ठाता को निर्यात के लिए प्राप्त किसी आदेश पर निर्यात के उद्देश्य से किया गया उक्त कार्य शामिल नहीं है।

3. जैव–चिकित्सा कूड़ा (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियमावली, 1998 अद्यतन संशोधित में यथाविनिर्दिष्ट प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग इस अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आएगा।

4. मैगजीन, आमंत्रण पत्रों, बधाई पत्रों की पैकिंग के लिए प्लास्टिक कवर/पाऊच का प्रयोग भी इस अधिसूचना के द्वारा निषेध है।

नोटः– खाद्य सामग्री एवं दूध की पैकिंग तथा नर्सरी में पौधे उगाने में प्रयुक्त होने वाले कंटेनर प्लास्टिक की थैली (कैरी बैग) नहीं हैं।

स्पष्टीकरण :–इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए प्लास्टिक की थैलियों (कैरी बैग) का वही अर्थ होगा जैसा पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्लास्टिक कूड़ा (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियमावली, 2011 अद्यतन संशोधित में परिभाषित किया गया है जिसे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :–

"कैरी बैग से वस्तुओं के वहन करने या वितरण करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी प्लास्टिक सामाग्री से बने बैग अभिप्रेत है किंतु इसमें वह बैग सम्मिलित नहीं है जो पैकिंग के समग्र भाग का निर्माण करते हैं या बनाते हैं जिसमें उपयोग से पूर्व माल को मुहरबंद (सील) किया जाता है।"

निम्नलिखित अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिसूचना का कार्यान्वयन करेंगे :–

1. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा सहायक पर्यावरण अभियंता एवं ऊपर स्तर के अधिकारी।
2. निदेशक (पर्यावरण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा वैज्ञानिक एवं ऊपर स्तर के अधिकारी।
3. सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट, अपने अधिकार क्षेत्र में।
4. संबंधित स्थानीय निकायों अर्थात् नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के सहायक सफाई निरीक्षक तथा ऊपर स्तर के अधिकारी स्वास्थ्य निरीक्षक एवं ऊपर स्तर के अधिकारी, सामान्य लाइसेंसिंग निरीक्षक तथा ऊपर स्तर के अधिकारी तथा दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य निरीक्षक।
5. संबंधित क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी।
6. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उसके द्वारा मनोनीत चिकित्सा अधिकारी।
7. श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में।
8. खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य निरीक्षक, अपने अधिकार क्षेत्र में।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रस्तावित अधिसूचना सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के माध्यम से लागू करेगी जो अधिसूचना का कार्यान्वयन एवं संपूर्ण निगरानी करेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव तथा संबंधित क्षेत्र के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दायर करने के लिए अधिकृत है- जैसाकि अद्यतन संशोधित दिनांक 16.4.1987 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 349(ई) द्वारा सशक्त किया गया है।

इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तिथि से, दिनांक 07.01.2009 की अधिसूचना सं0फा0 8 (86)/ईए/पर्या0/08/9473 अधिक्रमित हो जायेगी परन्तु इस अधिक्रमण से पूर्व किये गए या छूट गए कार्यों पर पिछली अधिसूचना के अंतर्गत रखी गई तथा लम्बित शिकायतें शामिल नहीं होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

केशव चन्द्र

(केशव चन्द्र)
सचिव (पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन)